

व्यवहार वाद क्रमांक 06ए/2015

न्यायालय— अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष— प्रतिष्ठा अवस्थी)

व्यवहार वाद क्र. 06ए/2015

संस्थापित दिनांक 14.01.2013

फाईलिंग नम्बर 230303000732013

राधेश्याम शर्मा पुत्र गजाधर प्रसाद उम्र 45 वर्ष  
निवासी— ग्राम रसनोल परगना गोहद जिला भिण्ड

..... वादी

बनाम

1. रामनरेश राजौरिया पुत्र गनपत प्रसाद उम्र 58 वर्ष  
निवासी— ग्राम रसनोल परगना गोहद जिला भिण्ड
2. म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला भिण्ड
3. छोटेलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद उम्र 60 वर्ष  
निवासी— ग्राम रसनोल परगना गोहद जिला भिण्ड

..... प्रतिवादीगण

---

(वादी द्वारा — अधिवक्ता श्री शिवनाथ शर्मा)  
(प्रतिवादी क्र0 1 द्वारा — अधिवक्ता श्री भूपेन्द्र कांकर)  
(प्रतिवादी क्र0 2— एक पक्षीय)  
(प्रतिवादी क्र0 3 द्वारा — अधिवक्ता श्री जी0एस0 निगम)

---

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 16.05.2018 को घोषित किया)

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा रसनोल तहसील गोहद में स्थित भूमि सर्वे क्र0 594 रकवा 0.12 एवं सर्वे क्र0 598 रकवा 0.22 को शासकीय चरनोई भूमि घोषित करने, विक्रय पत्र दिनांक 07.09.1987 को शून्य घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में वादपत्र इस प्रकार है कि मौजा रसनोल तहसील गोहद में भूमि सर्वे क्र0 594 मिन रकवा 0.12 पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ तथा सर्वे क्र0 598 रकवा 0.22 निस्तार चरनोई भूमि होकर पूर्ण रूप से शासकीय है। उक्त वादग्रस्त भूमि के पास वादी की भूमि लगी हुई है एवं उक्त भूमि से निकलकर वादी अपनी भूमि जोतने जाता है। वादग्रस्त भूमि हमेशा से शासकीय निस्तार चरनोई भूमि है जिसमें वादी के मवेशी चरते हैं तथा वादी का टैक्टर, ट्रॉली एवं अन्य कृषि उपकरण रखे जाते हैं। वादग्रस्त भूमि पर वादी का हर प्रकार से कब्जा वर्ताव है। उक्त भूमि पर कभी भी खेती नहीं हुई है।

### व्यवहार वाद कमांक 06ए/2015

दिनांक 10.11.2012 को वादी वादग्रस्त भूमि पर मवैशी चरा रहा था तो प्रतिवादी ने आकर वादी को उक्त भूमि से मवैशी चराने से मना किया था और भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी थी तब वादी ने तहसील एवं रजिस्ट्रार कार्यालय से जानकारी ली थी तथा विक्रय पत्र की नकल प्राप्त की थी तब वादी को यह जानकारी हुई थी कि प्रतिवादी ने अवैधानिक रूप से शासकीय भूमि हड़पने की नियत से बैनामा कराकर राजस्व कागजात में अपने नाम का इन्द्राज करा लिया है। विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 पूर्णरूप से अवैधानिक है जिसके निष्पादन का प्रतिवादी क्र० 3 को कोई अधिकार नहीं था तथा उक्त विक्रय पत्र द्वारा प्रतिवादी क्र० 3 द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 को कोई कब्जा नहीं दिया गया है। प्रतिवादी क्र० 1 ने प्रतिवादी क्र० 3 को धोखा देकर बयनामा करा लिया है जबकि प्रतिवादी क्र० 3 ने प्रतिवादी क्र० 1 के हक में वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि हमेशा से शासकीय निस्तार चरनोई भूमि है जिस पर वादी का हमेशा से कब्जा है। प्रतिवादी क्र० 3 ने शासन को गलत जानकारी देकर अवैधानिक रूप से पट्टा करा लिया था एवं पट्टे की शर्तों के उल्लंघन करते हुए प्रतिवादी क्र० 3 ने वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्र० 1 को विक्रय कर दी है अतः प्रतिवादी क्र० 3 के हक में किया गया पट्टा निरस्ती योग्य है। वादग्रस्त भूमि के बंदोबस्त के पूर्व के सर्वे क्र० 366 रकवा 0.115 एवं 383 रकवा 0.502 थे जो शासकीय निस्तार चरनोई थी। प्रतिवादी ने तत्कालीन मौजा पटवारी से सांठ गांठ करके शासकीय पट्टेदार की हैसियत से छोटेलाल का नाम वादग्रस्त भूमि पर राजस्व कागजात में इन्द्राज करा लिया था तथा गलत तरीके से सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना विक्रय पत्र दिनांक 09.07.87 निष्पादित करा लिया था जो कि निरस्ती योग्य है। सर्वे क्र० 383 के बंदोबस्त के पश्चात् नवीन सर्वे क्र० 594 एवं 598 बनाये गये हैं, जिन पर कभी भी छोटेलाल एवं प्रतिवादी का कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि हमेशा से शासकीय निस्तार चरनोई भूमि है जिस पर वादी के मवैशी चरते हैं। प्रतिवादी के उक्त कृत्य से वादी के हित प्रभावित हो रहे हैं अतः वाद प्रस्तुत कर वादी का निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय निस्तार चरनोई भूमि घोषित की जावे एवं विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 शून्य घोषित की जावे तथा प्रतिवादी के विरुद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादग्रस्त भूमि पर वादी को पशु चराने एवं टैक्टर आदि रखने में कोई बाधा उत्पन्न न करें।

3. प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा वाद पत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि नहीं है बल्कि प्रतिवादी क्र० 1 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि से वादी का संबंध नहीं है। उक्त भूमि से वादी का आवागमन नहीं है और न विवादित भूमि शासकीय निस्तार चरनोई भूमि है। उक्त भूमि में वादी को मवैशी चराने का कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कभी भी कोई कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का बिज होकर कृषि कार्य कर रहा है। बयनामा दिनांक 07.09.87 पूर्ण रूप से यही एवं वैधानिक है जिसके निष्पादन का अधिकार प्रतिवादी क्र० 3 छोटेलाल को था। उक्त विक्रय पत्र के पालन में वादग्रस्त भूमि का कब्जा प्रतिवादी को दिया गया है। छोटेलाल ने पूर्ण प्रतिफल लेकर बयनामा निष्पादित किया है। वादी को विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि हमेशा से चरनोई भूमि नहीं थी। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का कोई उपयोग व उपभोग नहीं किया गया है। वादग्रस्त भूमि का पट्टा विधिवत् प्रतिवादी क्र० 3 छोटेलाल के हक में विधिवत् राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया है एवं छोटेलाल ने वादग्रस्त भूमि को विधिवत् प्रतिवादी क्र० 1 के हक में विक्रय किया है। पट्टा निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। वादी द्वारा 28 वर्ष तक पट्टे को चुनौती नहीं दी गई है अतः वादी को अब चुनौती देने का अधिकार नहीं है। वादी को वादग्रस्त भूमि में कोई स्वत्व प्राप्त नहीं है। वादग्रस्त भूमि को शासकीय निस्तार भूमि घोषित करने का अधिकार कलेक्टर महोदय भिण्ड है। वादी ने उक्त संबंध में

### व्यवहार वाद क्रमांक 06ए/2015

राजस्व न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है। बदोवस्त से पूर्व सर्वे क्र० 366 एवं 383 शासकीय भूमि नहीं थी एवं प्रतिवादी छोटेलाल को वैधानिक रूप से पट्टा दिया गया था। वादग्रस्त भूमि छोटेलाल के स्वत्व एवं आधिपत्य की थी एवं शासकीय भूमि न होने से विक्रय हेतु कलेक्टर की स्वीकृति लिया जाना आवश्यक नहीं था। वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई हित नहीं है। वादी के पिता गजाधर ने अपने जीवनकाल में प्रतिवादी के विरुद्ध व्यवहारवाद क्र० 55/09 प्रस्तुत किया था जिसमें विवादित भूमि शामिल नहीं की गई थी अतः प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

4. प्रतिवादी क्र० 3 द्वारा वाद पत्र का खण्डन करते हुए उत्तर वाद पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि प्रतिवादी क्र० 3 को तहसीलदार महोदय के प्रकरण क्रमांक 358/67-68अ-19 आदेश दिनांक 07.09.68 द्वारा सेवा भूमि के नाम से पट्टा प्रदान किया गया था तभी से प्रतिवादी क्र० 3 उक्त भूमि का स्वामी होकर आधिपत्यधारी है। पट्टा होने के बाद भूमि निस्तार चरनोई नहीं रही है। विवादित भूमि से वादी का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर कभी भी वादी के पशु नहीं चरे हैं। उसके द्वारा प्रतिवादी क्र० 1 के हक में कोई बयानामा नहीं किया गया है। वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 मिलकर उसकी भूमि को हड़पना चाहते हैं। वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 का वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध नहीं है। तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी क्र० 3 को सेवा भूमि के रूप में वादग्रस्त भूमि का पट्टा दिया गया था तभी से प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। पट्टा होने के बाद राजस्व अभिलेख में शासकीय पट्टेदार का नाम इन्द्राज हुआ था। प्रतिवादी क्र० 3 ने प्रतिवादी क्र० 1 के हक में कोई विक्रय पत्र नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 का कब्जा नहीं रहा है। वादी द्वारा असत्य आधारों पर वाद प्रस्तुत किया गया है जो निरस्ती योग्य है।

5. प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 2 के तामील उपरांत उपस्थित न होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है।

6. उपरोक्त अभिवचनों के अवलोकन से मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये हैं जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है।

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या वादग्रस्त आराजी नम्बर 594 रकवा 0.24 का मिन रकवा 0.12 एवं 598 के रकवा 0.22 बांके मौजा रसनौल, तहसील गोहद शासकीय होकर निस्तार चरनोई की भूमि है ?
2. क्या प्रतिवादी क्र० 01 द्वारा संपादित विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 वादग्रस्त भूमि तक अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य है ?
3. क्या प्रतिवादी क्र० 01 द्वारा विवादित भूमि के संबंध में वादी को अवैधानिक रूप से बेदखल करने अथवा उसके कब्जा में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है ?
5. क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर उस पर विहित न्यायशुल्क अदा किया गया है ?
6. क्या वादी के दावा की प्रकृति आदेश 01 नियम 08 सी०पी०सी० के प्रावधान के अनुसार रिप्रेजेन्टिटिव शूट की हैसियत से होने के संचालन योग्य नहीं है।
7. सहायता एवं व्यय ?

**निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण**  
**वाद प्रश्न कमांक-1**

7. उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी राधेश्याम वा0सा0 1 ने द्वारा अपने वाद पत्र एवं शपथ पत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि मौजा रसनौल के सर्वे क्र0 594 रकवा 0.24 के मिन रकवा 0.12 विस्वा पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ तथा सर्वे क्र0 598 रकवा 0.22 पूर्ण रूप से निस्तार चरनोई होकर शासकीय भूमि है। उक्त भूमि वादी की भूमि के पास लगी हुई है। वादी अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि को जोतने के लिए वादग्रस्त भूमि से होकर निकलता है तथा वादग्रस्त भूमि पर टैक्टर, ट्रॉली व अन्य कृषि उपकरण रखता है। वादग्रस्त भूमि वादी के कब्जा वर्ताव की भूमि है, उक्त भूमि पर कभी खेती नहीं हुई है एवं पशु चरते हैं। दिनांक 10.11.12 को वादी वादग्रस्त भूमि पर अपने मवेशी चरा रहा था तो प्रतिवादी रामनरेश ने कहा था कि उसने वादग्रस्त भूमि का बयनामा करा लिया है एवं पशु चराने से मना किया था तथा जबरन कब्जा करने के लिए कहा था तब वादी ने वादग्रस्त भूमि के खसरे एवं विक्रय पत्र की नकले प्राप्त की थी तब वादी को पता चला था कि गलत व अवैधानिक तरीके से शासकीय भूमि को हड़पने की नियत से बयनामा कराकर राजस्व कागजात में इन्द्राज करा लिया है। वादी को यह जानकारी हुई थी कि शासकीय चरनाई भूमि को प्रतिवादी ने तत्कालीन मौजा पटवारी से मिलकर गलत तरीके से छोटेलाल के नाम पर इन्द्राज कराकर अपने नाम विक्रय पत्र संपादित करा लिया है जबकि वादग्रस्त भूमि पूर्ण रूप से शासकीय भूमि है। विवातिद भूमि पर कभी भी छोटेलाल का कब्जा नहीं रहा है एवं कभी भी रामनरेश का कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वादी की मवेशी चरती रही है। वादी द्वारा अपने अभिवचनों के समर्थन में सम्वत् 2031 लगायत 2035 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 3 एवं सम्वत् 2041 लगायत 2045 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र0पी0 4, विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 5 तथा निर्णय दिनांक 30.06.2011 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 6 तथा डिकी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 7 एवं प्रतिवादी रामनरेश के कथन की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 8 प्रकरण में प्रस्तुत की है।

8. प्रतिपरीक्षण के पद क्र0 9 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया गया है कि उसके पिता ने जो दावा किया था उसमें वादग्रस्त भूमि शामिल नहीं थी। उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि निस्तार चरनोई भूमि में गांव के सभी कास्तगारों के पशु चरते हैं। उसे नहीं पता कि उसके गांव में कुल कितनी निस्तार चरनोई की भूमि है। उसे नहीं पता कि छोटेलाल को विवादित भूमि का पट्टा हुआ था या नहीं, उसे यह भी नहीं मालूम कि छोटेलाल ने अपने भू-स्वामित्व एवं कब्जे की जमीन रामनरेश को बेच दी है। पद क्र0 10 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसके गांव में जमीन कागजों में कब निस्तार चरनोई दर्ज हुई, उसे पता नहीं है।

9. प्रतिवादी रामनरेश राजौरिया प्र0सा0 1 वादी के अभिवचनों का खण्डन करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र0 594 मिन रकवा 0.12 एवं सर्वे क्र0 598 रकवा 0.22 निस्तार चरनोई शासकीय भूमि नहीं है बल्कि उसके स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि से वादी का कोई आवागमन नहीं है। वादग्रस्त भूमि में वादी को मवेशी चराने का कोई अधिकार नहीं है और न ही वादग्रस्त भूमि में वादी के टैक्टर ट्रॉली एवं अन्य कृषि उपकरण रखे जाते हैं। वादग्रस्त भूमि उसके स्वत्व की भूमि पर है जिसके वह काबिज होकर कास्त कर रहा है। वादी को विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 की जानकारी विक्रय दिनांक से ही है। उक्त विक्रय पत्र सही है एवं वादग्रस्त भूमि पर उसका नामांतरण सही



## व्यवहार वाद क्रमांक 06ए/2015

हुआ है। प्रतिवादी छोटेला ल को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का अधिकार था एवं प्रतिवादी छोटेला ल ने वादग्रस्त भूमि उसे विक्रय की थी। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है। शासकीय निस्तार चरनोई भूमि घोषित करने का अधिकार कलेक्टर को है। उक्त संबंध में वादी ने राजस्व न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है। प्रतिवादी छोटेला ल वादग्रस्त भूमि का शासकीय पट्टेदार नहीं था। वादग्रस्त भूमि छोटेला ल के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि थी एवं छोटेला ल ने विधिवत् प्रतिफल प्राप्त करके वादग्रस्त भूमि उसे विक्रय की थी। वादग्रस्त भूमि में वादी का कोई स्वत्व नहीं है।

10. प्रतिपरीक्षण के पद क्र० 5 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि वह नहीं बता सकता कि वादग्रस्त भूमि के वंदोबस्त के पूर्व सर्वे क्र० 366 एवं 383 थे तथा व्यक्त किया है कि वादग्रस्त भूमि के सर्वे क्र० वंदोबस्त के पश्चात् परिवर्तित हुए हैं परन्तु वह नहीं बता सकता कि सर्वे क्रमांक क्या थे। वर्तमान सर्वे क्र० 594 एवं 598 हैं। उसे जानकारी नहीं है कि सर्वे क्र० 366 एवं 383 का पट्टा छोटेला ल को हुआ था या नहीं। उसे जानकारी नहीं है कि सर्वे क्र० 366 एवं 383 के वंदोबस्त के पश्चात् तीन सर्वे क्र० 593, 594 एवं 598 बने हैं। पद क्र० 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि प्रकरण क्रमांक 55/09 में विक्रय पत्र दिनांक 07.09.1987 निरस्त हो गया है। जिसका निर्णय प्र०पी० 9 एवं डिक्री प्र०पी० 10 है। पद क्र० 7 में उक्त साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने छोटेला ल से दिनांक 07.09.1987 को एक ही बयाना मा कराया था।

11. प्रतिवादी साक्षी रामराज प्र०सा० 2 एवं मनीष शर्मा प्र०सा० 3 ने भी प्रतिवादी रामनरेश प्र०सा० 1 के अभिवचनों के समर्थन में साक्ष्य दी है।

12. तर्क के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय चरनोई भूमि है जिस पर वादी के पशु चरते हैं तथा वादी के कृषि के उपकरण रखे जाते हैं जबकि तर्क के दौरान प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि नहीं है एवं प्रतिवादी क्र० 1 के स्वत्व की भूमि है।

13. प्रस्तुत प्रकरण में वादी राधेश्याम वा०सा० 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 594 रकबा 0.24 में से मिन रकबा 0.12 पूर्व दक्षिण दिशा की तरफ एवं सर्वे क्र० 598 रकबा 0.22 शासकीय निस्तार चरनोई भूमि है जो कि वादी की भूमि से लगी हुई है जिससे होकर वादी अपनी भूमि पर आवागमन करता है एवं उक्त भूमि पर वादी के टैक्टर ट्रॉली एवं अन्य कृषि उपकरण रखे जाते हैं तथा वादी के पशु चरते हैं। प्रतिवादी छोटेला ल द्वारा गलत तरीके से पटवारी मौजा से सांठ गांठ करके वादग्रस्त भूमि पर अपने नाम का गलत इन्द्राज करा लिया गया था एवं तत्पश्चात् प्रतिवादी रामनरेश को अवैधानिक रूप से विक्रय कर दी थी जबकि प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सभी तथ्यों का खण्डन किया गया है एवं व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी छोटेला ल के स्वत्व की भूमि थी जिसे प्रतिवादी छोटेला ल ने विधिवत् प्रतिफल लेकर प्रतिवादी रामनरेश को विक्रय किया था।

14. इस प्रकार वादी राधेश्याम वा०सा० 2 ने द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय निस्तार चरनोई भूमि है उक्त संबंध में वादी द्वारा सम्वत् 2031 लगायत 2035 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र०पी० 3 एवं सम्वत् 2041 लगायत 2045 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्र०पी० 3 प्रकरण में प्रस्तुत की गई है। प्र०पी० 3 के खसरे में सर्वे क्र० 366 एवं 383 शासकीय चरनोई भूमि होना उल्लेखित है एवं प्र०पी० 4 के खसरे में सर्वे क्र० 383 पर छोटेला ल का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अभिवचनित किया गया है कि सर्वे क्र० 383 के वंदोबस्त के पश्चात् नवीन सर्वे क्र० 594 एवं 598 निर्मित हुए हैं परन्तु वादी द्वारा उक्त संबंध में कोई रिनम्बरिंग सूची अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। यद्यपि वादी द्वारा रिनम्बरिंग सूची अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु

## व्यवहार वाद कमांक 06ए/2015

प्रतिवादीगण द्वारा भी उक्त तथ्य का स्पष्ट रूप से खण्डन नहीं किया गया है प्रतिवादी रामनरेश प्र०सा० 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसे वादग्रस्त भूमि के पूर्व के सर्वे क्रमांकों की जानकारी नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी रामनरेश प्र०सा० 1 ने भी वादग्रस्त भूमि के पूर्व के सर्वे क्रमांकों की जानकारी न होना बताया है परन्तु प्रतिवादीगण का ऐसा कहना नहीं है कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व सर्वे क्र० 383 नहीं थे। यद्यपि वादीगण द्वारा कोई रिनम्बरिंग सूची अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा भी इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में यही दर्शित होता है कि सर्वे क्र० 594 एवं 598 का वंदोवस्त के पूर्व सर्वे क्र० 383 था।

15. वादी द्वारा जो प्र०पी० 3 के खसरे की सत्यापित प्रतिलिपि प्रकरण में प्रस्तुत की गई है उसमें कॉलम नम्बर 2 में सर्वे क्र० 383 चरनोई भूमि होने का उल्लेख है तथा कॉलम नम्बर 18 में उक्त भूमि पर छोटेलाल के शासकीय पट्टेदार होने का उल्लेख है तथा प्र०पी० 4 के खसरे में सर्वे क्र० 383 पर छोटेलाल का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। प्रतिवादी रामनरेश प्र०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वादग्रस्त भूमि छोटेलाल के स्वामित्व की भूमि थी। प्रतिवादी रामराज प्र०सा० 2 जो कि छोटेलाल का पुत्र है ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि उसके पिता को शासन ने जमीन जोतने के लिए पट्टे पर दी थी तथा यह भी व्यक्त किया है कि जिस जमीन का मामला चल रहा है वह जमीन उसके पिता को पट्टे पर मिली थी। इस प्रकार प्रतिवादी रामराज प्र०सा० 2 के कथनों से यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि छोटेलाल को पट्टे पर प्राप्त हुई थी। यद्यपि उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में पट्टा प्रस्तुत नहीं किया गया है परन्तु प्र०पी० 3 के खसरे में सर्वे क्र० 383 पर छोटेलाल का नाम शासकीय पट्टेदार के रूप में अंकित है अतः यदि प्रतिवादी साक्षी रामराज प्र०सा० 2 के कथन एवं खसरे प्र०पी० 3 की प्रविष्टि के आधार पर यह मान लिया जाये कि वादग्रस्त भूमि छोटेलाल को शासन द्वारा पट्टे पर दी गई थी तो प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रतिवादी छोटेलाल को वादग्रस्त भूमि को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त था। यहां यह उल्लेखनीय है कि भू-राजस्व संहिता की धारा 165 के अधीन ऐसा व्यक्ति जिसे सरकारी पट्टेदार के रूप में दखल में रखने का अधिकार राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा दिया जाता है जो तत्पश्चात् ऐसी भूमि का भूमि स्वामी बन जाता है, ऐसी भूमि का अंतरण कलेक्टर की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी की अनुज्ञा बिना नहीं करेगा। अतः सामान्य नियम के अनुसार शासकीय पट्टेधारी को कलेक्टर की बिना अनुमति के भूमि अंतरण करने का अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि प्रतिवादी छोटेलाल को शासकीय पट्टेधारी होते हुए भी अंतरण का अधिकार प्राप्त था। प्रतिवादी साक्षी रामराज प्र०सा० 2 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया है कि उसके पिता ने विक्रय करने के लिए शासन से मंजूरी नहीं ली थी। ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि प्रतिवादी छोटेलाल को वादग्रस्त भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था एवं विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 अधिकारविहीन था जिससे क्रेता रामनरेश को वादग्रस्त भूमि पर कोई स्वत्व प्राप्त नहीं हुआ था।

16. वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय चरनोई भूमि थी एवं जिसमें उसके पशु चरते थे तथा उसका आधिपत्य था। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रकरण में यह अनुतोष चाहा गया है कि वादग्रस्त भूमि निस्तार चरनोई घोषित की जावे तथा प्रतिवादी के विरुद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह वादी को वादग्रस्त भूमि पर पशु चराने एवं टैक्टर आदि रखने में कोई बाधा उत्पन्न न करें। जहां तक वादग्रस्त भूमि चरनोई भूमि होने का प्रश्न है तो यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि वादी द्वारा जो प्र०पी० 3 का खसरा प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है उसमें

## व्यवहार वाद क्रमांक 06ए/2015

वादग्रस्त भूमि सर्वे क्र० 383 शासकीय चरनोई भूमि होना अंकित है। प्रतिवादी साक्षी रामराज प्र०सा० 2 ने भी यह स्वीकार किया है कि शासन ने वादग्रस्त भूमि उसके पिता को जमीन जोतने के लिए पट्टे पर दी थी इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में शासकीय चरनोई भूमि थी। जहां तक वादी का आधिपत्य संरक्षित किये जाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया है परन्तु उक्त संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर वादी को कृषि उपकरण एवं पशु चराने का एक मात्र अधिकार प्राप्त था। वादग्रस्त भूमि शासकीय चरनोई भूमि है जिस पर सम्पूर्ण ग्राम वासियों को पशु चराने एवं निस्तार अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है। वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिनिधिवाद के रूप में भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि पर वादी का एकल आधिपत्य नहीं माना जा सकता है। वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना बताया गया है परन्तु वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि पर एकल आधिपत्य होना दर्शित हो ऐसी स्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का एकल आधिपत्य है।

17. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह तो दर्शित है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है परन्तु वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है। फलतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

### वाद प्रश्न क्रमांक- 2

18. उक्त वाद प्रश्न के संबंध में वादी राधेश्याम वा०सा० 1 द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है जिसे प्रतिवादी छोटेलाल को विक्रय करने का अधिकार नहीं थी, अतः प्रतिवादी छोटेलाल द्वारा रामनरेश के हित में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 निरस्ती योग्य है।

19. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है परन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा प्रकरण में व्यवहारवाद क्रमांक 55ए/2009 ई०दी० में पारित निर्णय दिनांक 10.05.2016 की सत्यापित प्रतिलिपि अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से दर्शित है कि उक्त निर्णय में विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 को शून्य घोषित किया जा चुका है। चूंकि वादी द्वारा जिस विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 को निरस्त किये जाने का अनुतोष हस्तगत वाद में चाहा गया है वह विक्रय पत्र पूर्व में सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त विवादक विषय को पुनः विचारित नहीं किया जा सकता है एवं उक्त बिन्दु पर हस्तगत वाद प्रांगन्याय के सिद्धांतों से बाधित है। फलतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया।

### वाद प्रश्न क्रमांक- 3

20. उक्त वाद प्रश्न का निष्कर्ष वाद प्रश्न क्र० 1 के निष्कर्ष पर आधारित है। वाद प्रश्न क्र० 1 की विवेचना के अनुसार वादी यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर उसका एकल आधिपत्य है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर वादी का एकल आधिपत्य प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में यह भी नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जा रहा है एवं वादी को अवैधानिक रूप से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः उक्त वादप्रश्न भी वादी के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

## व्यवहार वाद कमांक 06ए/2015

### वाद प्रश्न कमांक- 4

21. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने वादग्रस्त भूमि की बाजारु कीमत के आधार पर वाद का मूल्यांकन नहीं किया है एवं कम न्यायशुल्क अदा किया है अतः प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है।

22. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी द्वारा यह वादग्रस्त भूमि की घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 को शून्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादी विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 में पक्षकार नहीं है अतः वादी को उक्त विक्रय पत्र के अनुसार वाद का मूल्यांकन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है अतः वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के लगान के बीस गुने के आधार पर वाद का मूल्यांकन कर तदनुसार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय फीस अधिनियम 1870 की धारा 7 (4) (सी) के अनुसार "घोषणात्मक डिक्री या आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है वहां वादी इप्सित अनुतोष की रकम का कथन करेगा।" इस प्रकार घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वादों में वादी वाद का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र है

23. प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के लगान के बीस गुने के आधार पर वाद का मूल्यांकन कर तदनुसार स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु न्यायशुल्क अदा किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है। फलतः उक्त वादप्रश्न वादी के पक्ष में प्रमाणित है।

### वाद प्रश्न कमांक- 5

24. उक्त वादप्रश्न के संबंध में प्रतिवादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी को विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 की जानकारी विक्रय दिनांक से ही थी अतः प्रस्तुत वाद अवधि ब्राह्य है।

25. प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी को विक्रय पत्र दिनांक 07.09.87 की जानकारी विक्रय दिनांक से ही थी परन्तु उक्त संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा स्वत्व घोषणा एवं आधिपत्य संरक्षण हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादी ने वाद पत्र में वाद कारण दिनांक 10.11.12 को उत्पन्न होना बताया है एवं वादी द्वारा यह वाद दिनांक 14.01.2013 को प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार वादी द्वारा वाद कारण उत्पन्न होने के पश्चात् विहित समयावधि के अंदर यह वाद प्रस्तुत किया गया है। फलतः प्रस्तुत वाद अवधि ब्राह्य नहीं है। अतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया है।

### वाद प्रश्न कमांक- 5

26. उक्त वादप्रश्न के संबंध प्रतिवादीगण द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादी ने शासकीय भूमि उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की होना बताया है तथा प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिनिधि वाद की हैसियत से प्रस्तुत नहीं किया गया है वादी का वादग्रस्त भूमि में कोई हित निहित नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद प्रचलन योग्य नहीं है।

27. इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा यह आपत्ति प्रकट की गई है कि विवादित भूमि शासकीय भूमि है अतः वादी को दावा लाने का अधिकार नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी ने विवादित भूमि पर स्वयं का आधिपत्य होने के आधार पर आधिपत्य संरक्षण हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया



**व्यवहार वाद कमांक 06ए/2015**

है। वादी द्वारा यह अभिवचनित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि पर उसके कृषि उपकरण रखे जाते हैं एवं वादग्रस्त भूमि पर उसका आधिपत्य है। यद्यपि वादी द्वारा शासकीय भूमि के संबंध में वाद प्रस्तुत किया गया है परन्तु वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना भी बताया है एवं आधिपत्य संरक्षण का अनुतोष भी चाहा गया है। ऐसी स्थिति में जबकि वादी ने वादग्रस्त भूमि पर अपना आधिपत्य होना अभिवचनित किया है एवं आधिपत्य संरक्षण की सहायता चाही है, यह नहीं माना जा सकता है कि प्रस्तुत वाद आदेश 1 नियम 8 सी0पी0सी0 के प्रावधान के अनुसार संचालन योग्य नहीं है। फलतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण उसके निष्कर्ष अनुसार किया गया है।

**सहायता एवं व्यय**

28. उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से वादग्रस्त भूमि पर वादी का आधिपत्य प्रमाणित नहीं है। समग्र अवलोकन से वादी अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः प्रस्तुत वाद निरस्त किया जाता है।

29. प्रकरण का संपूर्ण वाद व्यय वादी द्वारा वहन किया जावेगा।

30. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो देय होगा।

तदनुसार जयपत्र निर्मित किया जावे।

स्थान – गोहद

दिनांक – 16/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1,  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

अतिव्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1  
वर्ग-1 गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

व्यवहार वाद क्रमांक 06ए/2015

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

जानकारी हेतु प्र  
विधिक उपयोग